# निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रॉक 1416-19 /बा0वि0परि0/लेखा/2016–17 दिनॉक : 27 दिसम्बर, 2016

**समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं यथा – हौसला पोषण योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला फीडिंग कार्यक्रम तथा अतिकुपोषित बच्चों हेतु फीडिंग कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हॉटकुक्ड फूड तथा स्निप योजना के अन्तर्गत समुदाय आधारित परम्परागत गतिविधियों (आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई ) हेतु अग्रिम आहरण के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त योजनाओं के संचालन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निश्चित अवधि (सम्बन्धित माह अंकन) के साथ अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके क्रम में निदेशालय द्वारा समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को उक्त अवधि हेतु अग्रिम आहरण के लिये बजट उपलब्ध कराया जाता है। निदेशालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय् जिला कार्यकम अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन न करते हुये स्वीकृत माहों से इतर जनपद स्तर से अग्रिम आहरण किया जाता है। जोकि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें। इस संबंध में कतिपय जिला कार्यकम अधिकारियों द्वारा अनावश्यक मार्गदर्शन भी मांगा जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि आपको जिस माह के लिये अग्रिम आहरण की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है। उसी माह के लिये वास्तविक आवश्यकतानुसार धनराशि आकलित कर अग्रिम आहरण करते हुये योजना का सफल संचालन करें।

( आनन्द कुमार सिंह )
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या /तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि :– 1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
3. विशेष सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

( आनन्द कुमार सिंह )
निदेशक।

official letter 2016